

## अनुमति की शर्तें ।

- (1) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का निगम (भाषिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शिर्षी में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (3) उक्त वही निगम किसी इतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (4) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेंगे ।
- (5) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

महल शिखरी व्यवस्थापन हाउस डिजाइन अनुष्कार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 669 दिनांक 11/08/2020

श्री ज्ञानचन्द भोइनामी डा 08 श्री गुलाब राय भोइनामी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत आवासीय भवन संख्या- 02 मरवारपुरा

धारा 134 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन संख्या- 02 मरवारपुरा

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश की रोड, गांधी मैदान के पास

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3459/- अर्थात्

आलेख एसीड संख्या 9069/1047/1048

दिनांक 11/8/2020 को जमा करा दी है ।

13/8/2020

सहायक नगर निर्धारक  
नगर निगम, जोधपुर

ज्ञानचन्द भोइनामी

9829128522

व्यवस्थापक  
हाउस डिजाइन  
अनुष्कार